बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि॰प्रा॰(III)ब^{3} –14 / 2016– / पटना, दिनांक

प्रेषक

अतुल सिन्हा,

निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय पोलिटेकनिक, सीतामढ़ी

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम बजट के ''मुख्यशीर्ष– 2203 –तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष –00, लघुशीर्ष–105–बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0106– प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम'' (विपत्र कोड– 43- 2203001050106) के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विशय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1256, दिनांक 30.05.2017 के द्वारा विभागान्तर्गत नवस्थापित राजकीय पोलिटेकनिक, सीतामढ़ी में वर्ष 2017–18 से सत्रारंभ करने के लिए संस्थान में Internet connection, LAN, CCTV एवं Public Address System का अधिष्ठापन, विद्युत संयोजन हेतु पर्यवेक्षण शुल्क तथा पुस्तकों के क्रय हेतु कुल रू॰ 20,00,000=00 (बीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्श 2017–18 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से रू॰ 20,00,000=00 (बीस लाख रूपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 2561 / वि॰(2), दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–428, दिनांक 31.03.2017 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव, उक्त परिपत्र तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्त्तन कदापि नही किया जाय। यदि उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का व्यय संभावित नही हो तो उसे यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षो मे राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपरस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड / मुख्यशीर्ष / उपमुख्यशीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / मांग संख्या / कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश / आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280 / वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. व्यय विवरणी टी0 भी0 नं0 एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त हैं।

विश्वासभाजन

ह॰ / –

(अतुल सिन्हा)

निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

बिहार, पटना

ज्ञापांक– वि०प्रा०(III)ब^{3} –14/2016– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

निदेशक

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III)ब^{3} –14/2016– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

निदेशक

ज्ञापांक– वि०प्रा०(III)ब^{3} –14/2016– 15(mv) /पटना, दिनांक 12.6.017

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ योजना सहायक/ आई०टी० मैनेजर (ई–मेल/विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/ एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.06.17

निदेशक

8/6/17